पीठासीनः चंद्रोदय कुमार एच.जे.एस.	पंजीकरण दिनाॅक:	निर्णय दिनाॅक:	अवधि:
	31/07/19	15/07/20	0 वर्ष, 11 माह, 14 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या– 364/2019,

1. चैनू पुत्र नन्दू उम्र करीब 58 वर्ष
2. श्रीमती बसन्ती देवी पत्नि चैनू उम्र 55 वर्ष
3. कु. सुख देवी पुत्री चैनू उम्र 15 वर्ष नाबालिक जरिये संरक्षक पिता चैनू

निवासीगण ग्राम मडवा थाना लहचूरा जिला झाँसी

––––––––याचीगण

बनाम

1. जगदीश शिवहरे पुत्र श्री प्रहलाद शिवहरे निवासी वार्ड नं.1 कोलारस, जिला शिवपुरी, म.प्र.

––––मालिक टवेरा वाहन नं. एम.पी. 33 बी बी–1649

2. फिरोज खान पुत्र उस्मान खान निवासी सुक्रू कोलारस जिला शिवपुरी, म.प्र.

––––चालक टवेरा वाहन नं. एम.पी. 33 बी बी–1649

3. मुख्य प्रबन्धक चोला ममण्डलम एम. एस. जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. सेकेण्ड फ्लोर देयर हाउस नं. 2 एन.एस.सी. बोस रोड चैन्नई जरिये प्रबन्धक चोला ममण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. सेन्ट फ्रान्सिस कॉलेज, 4 मैरीगोल्ड शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ, उ.प्र.

–––– बीमा कम्पनी टवेरा वाहन नं. एम.पी. 33 बी बी–1649

–––––––––– विपक्षीगण

याचीगण 1 के अधिवक्ता श्री हेमन्त कुमार झा
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला

15.07.2020

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज वास्ते आदेश नियत है।

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध 28,00,000/– रु. क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है। प्रस्तुत याचिका में याचीगण व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा 16बी विगत नियत तिथि पर दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार याचीगण व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग 6,45,000/– रुपये याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी, जिसमें धारा–140 एम.वी.एक्ट की धनराशि भी समाहित है।

16बी सुलहनामा विगत नियत तिथि पर उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा 16बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा 16बी में दर्शित कुल मुबलिग 6,45,000/– रुपये प्रतिकर के रूप में लेने हेतु तैयार है जिसे विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु सहमत हैं। अतः याचिका सुलहनामा 16बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा 16बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। विपक्षी सं. 3 मुख्य प्रबन्धक, चोलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिकर की धनराशि मुबलिग 6,45,000/– (छैः लाख पेंतालीस हजार) रूपये 60 दिन के अन्दर न्यायाधिकरण में जमा करें। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से प्रार्थी/याची सं. 1 व 2 चैनू एवं श्रीमती बसन्ती देवी जो कि क्रमशः मृतक के पिता एवं माता हैं, 35–35 प्रतिशत दोनों अर्थात मुब.

Digitally signed by
CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.07.15
13:03:15 IST
Reason: Document
Owner
Location: MOTOR
ACCIDENT CLAIM
TRIBUNAL JHANSI UP

2,25,750/– रु. – 2,25,750/– रु. (दो लाख पच्चीस हजार सात सौ पचास – दो लाख पच्चीस हजार सात सौ पचास) प्राप्त करेंगे, जिसमें से वह दोनों 25– 25 प्रतिशत भाग अर्थात मु. 56437.50 पैसे – 56437.50 पैसे नकद प्राप्त करेंगे जो उक्त दोनों के खाते में जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट स्थानान्तरित किये जावेगें तथा 75 – 75 प्रतिशत भाग अर्थात मुब. 169312.50 पैसे – 169312.50 पैसे उक्त दोनों के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में तीन साल के लिये निवेशित किये जावेंगे। प्रार्थिया/याचिया सं. 3 कु. सुखदेवी नाबालिग, जो कि मृतक की बहन है, वह उक्त प्रतिकर की धनराशि में से 30 प्रतिशत भाग अर्थात मुब.1,93,500/– (एक लाख तिरानवे हजार पाँच सौ) रु. प्राप्त करेगी जो धनराशि जरिये संरक्षक पिता चैनू, कु. सुखदेवी के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में उसके वयस्क होने तक के लिये निवेशित की जावेगी। सुलहनामा 16 बी इस आदेश का भाग रहेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।